

5. महेन्द्र जाट पुत्र सुखलाल जाट जाति जाट निवासी काचरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. शिवचरण जाट पुत्र सुखलाल जाट जाति जाट निवासी काचरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. रतनलाल जाट पुत्र रंगलाल जाट जाति जाट निवासी काचरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. रामराज जाट पुत्र रंगलाल जाट जाति जाट निवासी काचरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
9. गणपत जाट पुत्र रामनाथ जाट जाति जाट निवासी काचरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
10. जसराज जाट पुत्र रामनाथ जाट जाति जाट निवासी काचरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
11. रामलाल जाट पुत्र रामनाथ जाट जाति जाट निवासी काचरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
12. रामदेव बैरवा पुत्र रामकिशन बैरवा जाति बैरवा निवासी काचरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
13. रामदेव बैरवा पुत्र रामकरण बैरवा जाति बैरवा निवासी काचरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
14. राकुंवार जाट पुत्र राधाकिशन जाट जाट जाति जाट निवासी काचरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
15. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय भिनाय, तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज.)

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-23.04.2025

- उपस्थित :-
1. वकील प्रार्थी- श्री सुरेश दाधीच
 2. वकील अप्रार्थी -श्री त्रिलोक जांगिड़
 3. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा काचरियां पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 315 में दर्ज खसरा नम्बर 32 रकबा 1.62 हैक्ट कुल किता 01 कुल रकबा 1.62 हैक्ट0 और खाता संख्या 316 में दर्ज खसरा नम्बर 28 रकबा 0.21 हैक्ट और खसरा संख्या 31 रकबा 1.58 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.79 हैक्ट जो कि प्रार्थीगणों के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 14 द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 15 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थीगणों ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 तथा 05 लगायत 14 की नियमानुसार पत्रावली में तलबी उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 तथा 05 लगायत 14 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता श्री त्रिलोक जांगिड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा तहसीलदार भिनाय की ओर से प्रकरण में जवाब सरकार पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी द्वारा आगे निवेदन किया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदारों के रूप में दर्ज गलकू पत्नि कल्याण, नोरत पुत्र कल्याण, हजारी पुत्र लादू की मृत्यु हो गयी है। उनके वारिसान को प्रकरण में प्रार्थी बनाया गया है, जिस बाबत् प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय प्रार्थी जगदीश द्वारा शपथ-पत्र पेश किया गया है। वकील अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा दोराने बहस प्रश्नगत आराजीयात की

पत्थरगढी की जाने पर अपनी सहमति प्रकट की। पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में दौराने बहस, जवाब प्रार्थना के अनुसार कथन करते हुए, निवेदन किया कि, प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना धारा 128 भू0रा0अधि में बिन्दू संख्या 02 व 03 में अंकित किया गया है कि प्रश्नगत आराजीयात में सहखातेदारों के रूप में दर्ज गलकू पत्नि कल्याण, नोरत पुत्र कल्याण, हजारी पुत्र लादू की मृत्यु हो गयी है, साथ ही उनके वारिसान भी बताये गये है, परन्तु राजस्व अभिलेखों में इनके वारिसान रिकॉर्ड पर नहीं आये है। साथ ही अपने जवाब में पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में राजहित निहित नहीं होना स्वीकार किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम काचरियां के खाता संख्या 315, 316 संवत् 2074-2077(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। जिसके संबंध में प्रार्थी जगदीश द्वारा शपथ-पत्र प्रकरण प्रस्तुतीकरण के समय पेश किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा काचरियां पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 315 में दर्ज खसरा नम्बर 32 रकबा 1.62 हैक्ट कुल किता 01 कुल रकबा 1.62 हैक्ट0 और खाता संख्या 316 में दर्ज खसरा नम्बर 28 रकबा 0.21 हैक्ट और खसरा संख्या 31 रकबा 1.58 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.79 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त, प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर